प्रेषक,

**आनन्द कुमार राय**,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग** **लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2022**

**विषयः विभाग में संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।** ,

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-170/बजट/2021-22 दिनांक 24.03.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा प्रश्नगत योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की कुल धनराशि रू0-2285.52 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-10 के अधीन लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-प्रधानमंत्री सूक्ष्य उद्योग उन्नयन योजना (के60/रा40-के+रा) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में सामान्य कार्यक्रमों हेतु निर्गत केन्द्रांश धनराशि रू0-2798.43 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-172.92 लाख केन्द्रांश तथा रू0-1865.12 लाख राज्यांश कुल धनराशि रू0-2038.54 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2021-**22** में सामान्य कार्यक्रमों हेतु अवमुक्त केन्द्रांश रू0-148.19 लाख के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0-98.79 लाख कुल धनराशि रू0-246.98 लाख इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2020-21 की धनराशि रू0-2038.54 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 की धनराशि रू0-246.98 लाख कुल धनराशि रू0-2285.52 लाख को अवमुक्त कर प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है जिसका विवरण निम्नवत है :-

**(धनराशि लाख रूपये में)**

| क्र0 सं0 | अनुदान सं0/लेखाशीर्षक | मद संख्या | आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि | अवमुक्त की जा रही धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अनुदान सं0-10 के अधीन लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-प्रधानमंत्री सूक्ष्य उद्योग उन्नयन योजना (के60/रा40-के+रा) | 04-यात्रा व्यय | 1.00 | 0.40 |
| | | 08-कार्यालय व्यय | 4.00 | 1.60 |
| | | 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई | 0.00 | 0.00 |
| | | 12-कर्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 8.00 | 3.20 |
| | | 15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि खरीद | 4.00 | 1.62 |
| | | 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 0.50 | 0.20 |
| | | 18-प्रकाशन | 7.00 | 2.80 |
| | | 27-सब्सिडी | 39184.50 | 1959.30 |
| | | 42-अन्य व्यय | 400.00 | 160.00 |
| | | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 300.00 | 120.00 |
| | | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 1.00 | 0.40 |
| | | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 90.00 | 36.00 |
| | **योग-** | | **40000.00** | **2285.52** |

1. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

.....2/-

3. निदेशक, उद्यान द्वारा कोषागार से धनराशि का अन्तरण पी0एफ0एम0एस0 से किया जायेगा।
4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।
6. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।
7. धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
8. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
9. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवयार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1- 3845-दस-2021-2022, दिनांक 30 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**( आनन्द कुमार राय )**
उप सचिव।

**संख्या- 77/2022/134/2022/58-2-2022, तद्दिनांक:**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**( आनन्द कुमार राय )**
उप सचिव।